

मूल निवास प्रमाण-पत्र (निर्धारित प्रपत्र में)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री /श्रीमती/सुश्री

पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री

निवासी

नगर/ग्राम जिला

राज्य का मूल निवासी है।

स्थान :

दिनांक :

उप जिला मजिस्ट्रेट/प्राधिकृत अधिकारी/
तहसीलदार के हस्ताक्षर मय मोहर